राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –1042/2015/जयपुर

रामपाल पुत्र रामगोपाल जाति रैगर
निवासी प्लाट नं. 80 कृष्णा कॉलोनी, हसनपुरा–बी, रेगर बस्ती, जिला–जयपुर .....प्रार्थी.

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक, जयपुर .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री गौरव दवे
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से.

दिनांक : 06.01.2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत्त तृतीय (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 754 ग्राम गैजी, तहसील दूदू, जिला–जयपुर में भूमि क्रय करने हेतु दो अलग–अलग स्टॉम्प क्रम संख्या 94 दिनांक 23.04.2014 को 75,000/– रूपये तथा क्रम संख्या 66/1 से 66/12 दिनांक 24.04.2014 को 2,85,000/–रूपये का कुल 3,60,000/– रूपये के स्टाम्प खरीदे गये। किन्तु किसी कारणवंश दोनों पक्षकारों के मध्य सौदा नहीं होने के कारण स्टाम्प निष्पादित नहीं किये गये। उक्त नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प राशि 3,60,000/– के रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये। प्रार्थी द्वारा स्टाम्प दिनांक 24.04.2014 को क्रय किये गये जबकि रिफण्ड के लिये कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर में प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2014 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(ख) के तहत् खराब माना जाकर रिफण्ड योग्य नहीं माना जाकर उक्त प्रार्थना पत्र कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के आदेश दिनांक 04.03.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 04.03.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया गया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 58(ख) के अनुसार किसी ऐसा

लगातार.....2

06/01/17

दस्तावेज का स्टाम्प जो पूर्णतः या भागतः लिखा गया है, किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है, को खराब हो गये स्टाम्प की श्रेणी में माना जाकर रिफण्डेबल माना गया है। किन्तु वर्तमान प्रकरण में दस्तावेज पर के स्टाम्प पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् विक्रेता के हस्ताक्षर जो काली स्याही से किये गये थे, उनको नीली स्याही से काटा गया है। इस संबंध में प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन रहा है कि किसी कारणवश सौदा नहीं हो सका तब विक्रेता ने अपने हस्ताक्षर काट दिये जिससे इन स्टाम्प का कोई पक्षकार दुरूपयोग या कपटपूर्वक किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकें। इस प्रकार किसी कारणवश सौदा केन्सिल होने से विक्रेता द्वारा अपने हस्ताक्षर काट दिये जाने से दस्तावेज को हस्ताक्षरित और निष्पादित नहीं माना जा सकता। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 58(ख) का निर्वचन अविधिक रूप से किया गया है। प्रार्थी धारा 58(ख) तथा 59 .के प्रावधानों के तहत् कुल स्टाम्प 3,60,000/- रूपये का रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के आदेश दिनांक 04.03.2015 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

1. Civil Appeal No 290/2001 Thriuvengada Pillai V/s Navaneethammal & another judgment Date 19-02-2008 (SC)
2. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की निगरानी संख्या 8/2007/पाली दुर्गादास पुत्र श्री रामसिंह बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय दिनांक 06.06.2007

4. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त स्टाम्पों पर विक्रय पत्र लेखवद्ध किया जा चुका है तथा उस पर दोनो पक्षों प्रार्थी एवं विक्रेता प्रभूलाल के हस्ताक्षर है, विक्रेता के हस्ताक्षर काली स्याही से किये गये है जिनको नीली स्याही से काटा गया है। जिसके संबंध में प्रार्थी का यह कथन रहा है कि किसी कारण वर्ष सौदा नहीं होने से स्टाम्प को इस उद्देश्य से काट दिया गया कि इन स्टाम्पों का कोई पक्षकार दुरूपयोग या कपटपूर्वक उपयोग नहीं कर सके। किन्तु विक्रेता द्वारा अपने हस्ताक्षर स्वयं द्वारा काटने का कोई साक्ष्य/शपथ पत्र रिफण्ड प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 58(ख) के अनुसार किसी ऐसा दस्तावेज का स्टाम्प जो पूर्णतः या भागतः लिखा गया है किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है, को खराब हो गये स्टाम्प की श्रेणी में माना जाकर रिफण्डेबल माना गया है। किन्तु प्रार्थी के स्टाम्पों पर दस्तावेज को पूर्ण रूप से लिख दिया गया तथा उस पर दोनों पक्षकारों द्वारा

06/01/17

लगातार.....3

हस्ताक्षर भी कर दिये गये। अतः दस्तावेज का निष्पादन हो चुका है जिससे स्पष्ट है कि संव्यवहार पूर्ण स्टाम्प शुल्क के दायित्व का सृजन हो चुका है। जो राजस्थान अधिनियम 1958 की धारा 58(ख) के तहत् खराब माना जाकर रिफण्डेबल नहीं होने से कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा पत्रांक 2735 दिनांक 16.09.2014 खारिज किया जा चुका है। इस पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे भी दिनांक 04.03.2015 क़ो खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का रिफण्ड प्रार्थना पत्र खारिज किये जान में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का संसमान अध्ययन कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 754 ग्राम गैजी, तहसील दूदू, जिला–जयपुर में भूमि क्रय करने हेतु स्टॉम्प दिनांक 24.04.2014 को 3,60,000/– रूपये के स्टाम्प खरीदे गये। प्रार्थी का कथन है कि किसी कारणवश दोनों पक्षकारों के मध्य सौंदा नहीं होने के कारण स्टाम्प निष्पादित नहीं किये गये और प्रार्थी द्वारा 20.08.2014 को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प राशि 3,60,000/– के रिफण्ड हेतु एक प्रार्थना पत्र उप महानिरीक्षण पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि विक्रेता के हस्ताक्षर काली स्याही से किये गये है, जिनको नीली स्याही से काटा गया है। इस संबंध में प्रार्थी का यह कथन रहा है कि किसी कारणवश सौदा नहीं हो सका तब विक्रेता ने अपने हस्ताक्षर काट दिये जिससे इन स्टाम्प का कोई पक्षकार दुरूपयोग या कपटपूर्वक किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकें।

6. यहां यह उल्लेखनीय है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों के हस्ताक्षर हो जाने के बाद सौदा केन्सिल होने के आधार पर विक्रेता द्वारा अपने हस्ताक्षर को काटा गया है तथा यहां तक कि दोनों साक्षियों हस्ताक्षर भी काटे गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी का मामला राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(ख) के अन्तर्गत नहीं आने से उसके स्टाम्प को खराब हो गये स्टाम्प की श्रेणी में रिफण्डेबल नहीं माना। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी क्रेता द्वारा विक्रेता से आराजी क्रय करने हेतु विक्रय पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पर दिनांक 24.04.2014 को टंकित किया गया। टंकित किये जाने के पश्चात् पक्षकारों के हस्ताक्षर के पश्चात् किन्हीं कारणवश सौदा केन्सिल होने से विक्रेता द्वारा अपने हस्ताक्षर काट दिये गये। हालांकि हस्ताक्षर किसने काटे इसके संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

लगातार.....4

06/01/17

किन्तु विक्रेता के हस्ताक्षर किसके द्वारा काटे गये यह तथ्य वर्तमान प्रकरण में निहित विवाद को निस्तारित करने के लिए सुसंगत नहीं है। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य सौदा केन्सिल होने से तथा विक्रेता के हस्ताक्षर काटे हुए होने से यही उपधारणा ली जायेगी कि विक्रेता द्वारा उक्त दस्तावेज को निष्पादित करने से इन्कार किया गया है। यहां पर अधिनियम की धारा 58(ख) एवं 58(घ)(iv) का उल्लेख किया जाना समीचीन है:–

धारा 58(ख) के अनुसार–

किसी ऐसा दस्तावेज का स्टाम्प जो पूर्णतः या भागतः लिखा गया है किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है।

धारा 58(घ)(iv) के अनुसार –

(घ) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी ऐसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प, जो

(iv) किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना आवश्यक था, उसे निष्पादित किये बिना मृत्यु हो जाने या किसी ऐसे व्यक्ति के उसको निष्पादित करने से इंकार किये जाने के कारण वह इस रूप में पूर्ण नहीं की जा सकती जिससे आशयित संव्यवहार को अपेक्षित प्ररूप में प्रभावी बनाया जा सकें।

6. उक्त प्रकरण में दस्तावेज स्टाम्प पर पूर्णतः लिखा जा चुका था एवं दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् विक्रेता के हस्ताक्षर काट दिये गये। अतः वर्तमान प्रकरण में स्टाम्प धारा 58(ख) के अन्तर्गत रिफण्डेबल नहीं है। जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि लिखत पर क्रेता के हस्ताक्षर है तथा विक्रेता के हस्ताक्षर करने के पश्चात् काटे हुए है, इस लिये यह विक्रेता द्वारा निष्पादन से इंकार के समान है। अतः वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी का मामला धारा 58(घ)(iv) के अन्तर्गत आने से उक्त प्रावधान के तहत् प्रार्थी के स्टाम्प रिफण्डेबल है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2015 का आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है। अतः कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के आदेश दिनांक 04.03.2015 अपास्त किये जाने योग्य होने से अपास्त किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को मुद्रांक की रिफण्ड योग्य राशि को लौटाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

8. निर्णय सुनाया गया।

06/01/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य